न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2023 (अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम)

रुकमा देवी पत्नी स्व० श्री जगदीश चन्द्र जाति जाट आयु 73 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 23, दुलमानी तहसील पीलीबंगा हाल रताखेडा तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

––अपीलार्थीया

बनाम

1. भूप सिंह गोदारा पुत्र श्री जगदीश गोदारा जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 23, दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रणवीर गोदारा पुत्र श्री जगदीश गोदारा जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 23, दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध आदेश 21.06.2023 द्वारा न्यायालय भरण पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प्रकरण सख्या 01/2023, शीर्षक रूकमा देवी बनाम भूप सिंह गोदारा आदि जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार किया गया।

निर्णय दिनांकः– 25.09.2024

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टान से अपीलार्थीया को प्रतिमाह 30,000/– रूपये व धारा 23 के तहत रेस्पोडेन्टान द्वारा अपीलार्थीया के साथ छल–कपट व धोखाधड़ी कर पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी के आधार पर रेस्पोडेन्टान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरित हुई आराजी से रेस्पोडेन्टान को निष्कासित कर उसका कब्जा अपीलार्थीया को दिलवाये जाने व दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व अपीलार्थीया के नाम की आराजी को पुनः अपीलार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दिये जाने का आदेश फरमाये जाकर मूल परिवाद के निस्तारण तक धारा 5(2) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अन्तरिम भरण–पोषण दिलवाये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही उपरान्त अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 21.06.2023 पारित किया कि " अप्रार्थीगण की हैसियत, हालात एवं प्रार्थीया की उचित जरूरतों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीया को 5000/– रूपये अप्रार्थी सं. 01 भूपसिंह गोदारा व 5000/– रूपये अप्रार्थी सं. 02 रणवीर सिंह गोदारा (अंकेन दस हजार रूपये) माह फरवरी 2023 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अदा करेंगे। फरवरी 2023 से जून 2023 तक की भरण–पोषण की राशि माह जुलाई 2023 की 10 तारीख तक अदा करेंगे तथा माह जुलाई 2023 से भरण–पोषण की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व अदा करेंगे। उक्त अप्रार्थीगण को भरण–पोषण की राशि प्रार्थीया के बैंक खाते में जमा करवानी होगी।" अपीलार्थीया उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है–

(1) अपीलार्थीया वयोवृद्ध व औरतजात है, जिसके हितों को सुरक्षित रखने का दायित्व अदालत का है, इस कारण आदेश आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में याचित अनुतोष प्रदान नहीं कर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया गया है, इस कारण उक्त आदेश संशोधित किया जाना आवश्यक है।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

(3) अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 30,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि व दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व प्रार्थीया के नाम की आराजी को पुनः प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है तथा दस्तबरदारी के सम्बन्ध में अपने आदेश में किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं किया है, इस कारण उक्त आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है।

(4) प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट कथन अंकित किये थे कि प्रार्थीया के पति के देहान्त के उपरान्त प्रार्थीया को अपने पति के नाम विभिन्न चकों में दर्ज कुल 9.495 हैक्टेयर आराजी में से प्रार्थीया को विरासतन प्राप्त 1/4 हिस्सा यानि 2.373 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया के पति की मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2, सरकार द्वारा बिना ब्याज लोन दिलाने का झांसा देकर अंगूठा/हस्ताक्षर करवा लिये तथा बिना ब्याज लोन की बजाय प्रार्थीया के साथ छल–कपट करते हुए प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी को लोन दिलाने का झूठा झांसा देकर आराजी को दिनांक 14.03.2014 को जरिये दस्तबरदारी तैयार करवाकर आराजी अपने नाम करवा ली तथा दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन करवा लिया, जिसे निरस्त करवाकर पुनः अपीलार्थीया के नाम कुल 2.373 हैक्टेयर आराजी दर्ज करवाने की अपीलार्थीया अधिकारी थी परन्तु दस्तबरदारी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित न कर कानूनी भूल की है।

(5) अप्रार्थीगण दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 के जरिये अपने नाम आराजी दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थीगण ने अपीलार्थीया को घर से निकाल दिया है और प्रार्थीया इस वृद्धावस्था की हालत में दर–दर की ठोकरें खा रही है और अप्रार्थीगण, प्रार्थीया की आराजी को काश्त कर लाभ उठा रहे है और अपने पुत्र होने के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर आदेश पारित किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश "दिनांक 21.06.2023 में इस प्रकार का संशोधन किया जावे कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ छल कपट व धोखाधडी कर पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व प्रार्थीया के नाम की आराजी को अप्रार्थीगण का नाम हटाकर पुनः प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने व प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थीगण को निष्कासित कर उसका कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अपीलार्थीया जरिये न्यायमित्र श्री खुशप्रीत सिंह उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान को सम्मन जारी होने बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त होने पर दिनांक जरिये न्यायमित्र अर्जुनसिंह नरूका उपस्थित हुए। परन्तु रेस्पोडेन्टान के दौरान बहस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 25.09.2024 को रेस्पोडेन्टान की अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। न्यायमित्र अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थीया को घर से निकाल दिया है और अपीलार्थीया इस वृद्धावस्था की हालत में दर–दर की ठोकरें खा रही है और रेस्पोडेन्टान, अपीलार्थीया की आराजी को काश्त कर लाभ उठा रहे है और अपने पुत्र होने के दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ छल कपट व धोखाधडी कर पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व प्रार्थीया के नाम की आराजी को अप्रार्थीगण का नाम हटाकर पुनः प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने व प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थीगण को निष्कासित कर उसका कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायमित्र अपीलार्थीया के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्टान इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। रेस्पोडेन्टान का उपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

नहीं आना इससे यह जाहिर होता है कि वह इस प्रकरण में कोई जबाव देही नहीं रखता है। अपीलार्थीया द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.06.2023 में आंशिक संशोधन कर रेस्पोडेन्टान द्वारा प्रार्थीया के साथ छल कपट व धोखाधडी कर पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व अपीलार्थीया के नाम की आराजी को रेस्पोडेन्टान का नाम हटाकर पुनः अपीलार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने व प्रश्नगत कृषि भूमि से रेस्पोडेन्टान को निष्कासित कर उसका कब्जा अपीलार्थीया को दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी को भरण–पोषण व मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जा चुका है व इसकी पालना में रेस्पोडेन्टान द्वारा की जा रही है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न जमा रसीद से होती है। जहां तक अपीलार्थीया से रेस्पोडेन्टान द्वारा पंजीबद्ध करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 14.03.2014 को निरस्त कर दस्तबरदारी से पूर्व अपीलार्थीया के नाम की आराजी को पुनः अपीलार्थीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 23(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि **"यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद अपनी सम्पति को दान द्वारा या अन्यथा इस शर्त के साथ अन्तरण करता है कि अन्तरिती मूल सुविधाओं और आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहता है या इन्कार करता है तो सम्पति का उक्त अन्तरण, कपट, या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक् असर के अन्तर्गत किया गया माना जाएगा और अन्तरण अधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिक की वांक्षा पर शून्य घोषित किया जाएगा। यह धारा इसके लिए भी प्रावधान करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी सम्पति या उसके भाग में से भरण–पोषण को प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसी सम्पति या उसका भाग अन्तरित किया जाता है वहां अधिकार का प्रवर्तन अन्तरिती के विरूद्ध किया जा सकेगा"**। परन्तु अपीलार्थी द्वारा अन्तरित प्रश्नगत कृषि भूमि के उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नहीं किया जाना पाया गया जिससे अपीलार्थी उक्त अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को भरण पोषण अधिनियम की धारा 23 के तहत इसी धारा 23(1) के अनुसार दिये गये प्रावधान के तहत अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष पोषनीय नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.06.2023 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/9/24. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़